रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228545
CG-DL-E-28072021-228545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2021/श्रावण 6, 1943
No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2021/SHRAVANA 6, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

मामला सं. एडी (एसएसआर)-15/2021

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अलॉय या गैर-अलॉय स्टील के वॉयर रॉड उत्पादों के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 07/17/2021-डीजीटीआर.—इंडियन स्टील एसोसिएशन (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू) (जिन्हें आगे ''आवेदक उत्पादक'' भी कहा गया है) की ओर से एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे **''संबद्ध देश''** भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''अलॉय या नॉन-अलॉय स्टील के वॉयर रॉड'' (जिन्हें आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है। घरेलू उत्पादक अर्थात ने आवेदन में विहित सूचना प्रदान की है । इसके अतिरिक्त टाटा स्टील लांग प्रोडक्ट्स लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है ।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध देशों से पाटन जारी है और शुल्क समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृति होने की संभावना है । आवेदक ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है ।

पृष्ठभूमि

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच की शुरूआत दिनांक 02 जून, 2016 को शुरू की गई थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 27 सितंबर, 2016 के प्रारंभिक जांच परिणाम द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और अधिसूचना सं. 51/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा दिनांक 02 नवंबर, 2016 को लागू किया गया था । विस्तृत जांच के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 30 अगस्त, 2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/17/2016-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 48/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा कार्यान्वित किया गया था ।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र लौह या गैर- मिश्र धातु के अनियमित वाउंड वाले कॉइल में बार और रॉड, हॉट रोल्ड (जिन्हें सामान्यत: ''वॉयर रॉड'' के रूप में जाना जाता है) हैं ।

5. ये उत्पाद प्राइम और नान प्राइम, श्रेणी के हैं और सभी आकारों में उपलब्ध हैं । ये उत्पाद विभिन्न गुणवत्ताओं वाले स्टील के अनुरूप हैं लेकिन इलैक्ट्राड, फ्री कटिंग, फोर्जिंग, कोल्ड हैंडिंग, लो/मीडियम/हाई कार्बन स्टील, ड्राइंग, बॉल बियरिंग स्टील, केस हार्डनिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील, कोरोजन रेसिसटेंट स्टील, वेदरिंग स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील एवं स्टील की बहुत सी अन्य विशेषताओं तक सीमित नहीं हैं । तथापि, निम्नलिखित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं :

(क) टैरिफ मद सं. 72131090 के अंतर्गत आने वाले रोलिंग प्रोसेस के दौरान उत्पादित बार और रॉड, जिनमें इंडेन्टेशन, रिब्स, ग्रूव्स या अन्य डिफार्मेशन अंतर्निहित हैं (जिन्हें सामान्यत: रिबार्स या टीएमटी बार्स के रूप में जाना जाता है) ।

(ख) टैरिफ शीर्ष 7221 के तहत आने वाले स्टेनलेस स्टील के बार और रॉड ।

(ग) टैरिफ शीर्ष 72271000 के तहत आने वाले हाई स्पीड स्टील के बार और रॉड ।

6. पीयूसी का प्रयोग बहुत से अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में होता है जैसे कि ऑटोमोटिव कम्पोनेंट, वल्डिंग इलैक्ट्रोडस, स्प्रिंग, वायर मेश, फास्टनर्स जिनमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आमर्रड केबल्स आदि के लिए नट एवं बोल्ट्स, नेल्स रेलवे स्लीपर्स, जनरल इंजीनियरिंग, बाइंडिंग वायर्स आदि शामिल हैं ।

7. पीयूसी को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 7213 और 7227 के तहत वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान समीक्षा जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

8. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में था ।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भारत को संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू के समान है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें ''समान वस्तु'' माना जाना चाहिए । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के ''समान वस्तु'' माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

10. यह आवेदन इंडियन स्टील एसोसिएशन (आवेदक) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है । निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ अपनी लागत और क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है :-

 क. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

 ख. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

 ग. जे एस डब्ल्यू लिमिटेड

11. संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में संलग्न निम्नलिखित उत्पादकों ने याचिका का समर्थन किया है ।

 क. टाटा स्टील लॉंग प्रोडक्ट्स लिमि.

 ख. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

12. आवेदक उत्पादकों ने संबद्ध देश से न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं ।

13. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक उत्पादकों के पास भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है । उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक उत्पादकों को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

चीन जन.गण.

14. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है । आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं । आवेदक ने बताया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए ।

15. आवेदक ने बताया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे । तथापि, आवेदक को इसके संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । आवेदक का दावा है कि पीयूसी के विभिन्न ग्रेड हैं और इन्हें बहुत से विभिन्न एच एस कोडों के तहत वर्गीकृत किया गया है और इन कारणों से इनसे संबंधित परिशुद्ध विश्वसनीय सूचना को प्राप्त करना कठिन हो गया है ।

16. अत: आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-। के पैरा-7 के अनुसार ''किसी अन्य तर्कसंगत आधार'' के अनुसार चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया है । इस संबंध में आवेदक ने (क) कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, (ख) घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर खपत मानक, परिवर्तन लागत और एस जी ए लागत, और (ग) तर्कसंगत लाभ के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है । जांच की शुरूआत की तर्कसंगतता सिद्ध करने के लिए सामान्य मूल्य का पर्याप्त साक्ष्य है ।

17. जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा सुझाए गए सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति पर विचार किया है ।

निर्यात कीमत

18. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदा-वार आयात आकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, संभलाई प्रभार, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन/व्यापारियों का लाभ तथा गैर-वापसी योग्य वैट के अनुसार कीमत का समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन

19. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है। इस प्रकार, यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है।

पाटन और क्षति के जारी रहने/ उनकी पुनरावृति की संभावना

20. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और कीमत, सकारात्मक पाटन मार्जिन, संबद्ध देशों में उल्लेखनीय अप्रयुक्त क्षमताओं, संबद्ध देश की अत्यधिक क्षमताओं के विरूद्ध अन्य देशों द्वारा लागू व्यापार उपचारात्मक उपायों की मौजूदगी, संभावित व्यापार विपथन, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और पी यू सी के आयातों पर भारत द्वारा मूल सीमाशुल्क में कटौती पर विचार करते हुए यदि शुल्क समाप्त होता है तो पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृति होने की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। यह प्रथम दृष्टया नोट किया गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है तो घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृति होने की संभावना है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

21. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वंय को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

संबद्ध देश

22. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

23. आवेदक ने जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2021 (18 माह) की अवधि का प्रस्ताव किया है। क्षति जांच की अवधि में 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि शामिल है।

24. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में अपेक्षाकृत लंबी जांच अवधि पर विचार किया गया है क्योंकि 2020-2021 की पहली तिमाही में व्यापार कोविड-19 द्वारा प्रभावित था। कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति और क्षति की संभावना के आकलन के लिए अपेक्षाकृत लंबी अवधि अधिक उपयुक्त रहेगी। उपर्युक्त के मद्देनजर, 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2021 की 18 माह की अवधि को जांच अवधि मानना उपयुक्त समझा गया है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018- मार्च, 2019, अप्रैल 2019- मार्च, 2020 तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

25. निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण शामिल होगा।

26. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

27 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और jd14-dgtr@gov.in, पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

28. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें।

समय सीमा

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों मेल adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और jd14-dgtr@gov.in, पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

34. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

35. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

36. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

37. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

38. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना

के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

39. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

40. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

41. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वैबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी ।

असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION-NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2021

(Case No. AD (SSR) - 15/2021)

Subject : Initiation of sunset review investigation concerning imports of Wire Rod of alloy or non-alloy steel originating in or exported from China PR-reg.

No. 07/17/2021-DGTR.—Indian Steel Association (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Steel Authority of India Limited (SAIL) and JSW Steel Limited (JSW) (hereinafter also referred to as the ("applicant producers") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of sunset review investigation concerning imports of Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as "subject country"). The domestic producers namely, Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Steel Authority of India Limited (SAIL) and JSW Steel Limited (JSW) have provided the prescribed information in the Application. Further, Tata Steel Long Products Limited and Jindal Steel and Power Limited have supported the application.

2. The Applicant has alleged that dumping from the subject country has continued even after the imposition of anti-dumping duty and that there is likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury in case of cessation of duties. The Applicant has requested for extension of duties on imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

Background

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject country was initiated on 2nd June 2016 by the Designated Authority. The Designated Authority recommended imposition of provisional anti-dumping duty vide preliminary findings dated 27th September 2016, which was imposed on 2nd November 2016 vide Notification No. 51/2016-Customs (ADD). Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country vide final findings Notification No. 14/17/2016-DGAD dated 30th August 2017. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No. 48/2017-Customs (ADD) dated 9th October 2017.

Product under consideration

4. The scope of product under consideration in the present sunset review investigation is bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel or alloy steel (commonly known as "Wire Rods").

5. These products are of prime and non-prime category and are in all sizes. These products conform to various qualities of steels including but not limited to electrode, free cutting, forging, cold heading, low / medium / high carbon steels, drawing, ball bearing steel, case hardening steel, spring steel, corrosion resistant steel, weathering steel, structural steel and many more qualities of steel. However, following products, are not included in the scope of the product under consideration:

   a. *Bars and rods containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process falling under Tariff Item 72131090 (commonly known as rebars or TMT bars)*

   b. *Bars and rods of Stainless steel falling under Tariff Heading 7221*

   c. *Bars and rods of High speed steel falling under Tariff Item 72271000*

6. The PUC is used in many applications and sectors such as automotive components, welding electrodes, springs, wire mesh, fasteners including nuts and bolts, nails, railway sleepers, general engineering, binding wires for construction industry, armoured cables etc.

7. The PUC is classified under Custom Tariff Heading 7213 and 7227. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present review investigation.

8. The scope of the product under consideration in the present sunset review investigation is the same as in the original investigation.

Like article

9. The applicant has claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject country to India. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry

10. The application has been filed by Indian Steel Association (Applicant) on behalf of the domestic producers. The following producers have provided their costing and injury information for the purposes of the sunset review investigation:

   a. Rashtriya Ispat Nigam Limited

   b. Steel Authority of India Limited

   c. JSW Steel Limited

11. The following producers engaged in manufacturing of subject goods are supporting the petition:
    a. Tata Steel Long Products Ltd
    b. Jindal Steel and Power Limited

12. The applicant producers have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any exporter or importer of subject goods.

13. As per evidence available on record, the applicant producers account for a major proportion in the domestic production of the like article in India. On the basis of information available, the Authority has considered the applicant producers as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

Basis of alleged dumping

Normal value

China PR

14. The applicant has cited and relied upon Article l5 (a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- l to Rules.

15. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country, price from such a third country to other countries, including India. However, the applicant could not get reliable information regarding the same. The applicant has claimed that PUC has various grades and is classified under multiple HS codes, and because of these reasons it becomes difficult to get accurate reliable information regarding the same.

16. Therefore, the applicant has suggested normal value for China PR on the basis of "any other reasonable basis" as per Para 7 of Annexure I to the Rules. In this regard, the applicant has claimed the normal value for China PR based on (a) International price of raw material, (b) Consumption norms, conversion costs and SGA costs on the basis of experience of the domestic industry, and (c) a reasonable profit. There is sufficient evidence of normal value to justify initiation of investigation.

17. For the purpose of initiation, the Authority has considered the methodology for determination of normal value suggested by the applicant.

Export price

18. The export price for subject goods from the subject country has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, inland freight, handling charges, ocean insurance, bank charges, commission/trader's profit and non-refundable VAT.

Dumping margin

19. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin determined is above de-minimis level. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country is higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country have continued to be exported at dumped prices, in spite of antidumping duty in force.

Likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury

20. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, considering the volume and price of imports of subject goods from subject country, positive dumping margin, significant unutilized capacities in subject country, existence of trade remedial measures imposed by other countries against the subject country, potential trade diversion, price attractiveness of Indian market and reduction of basic custom duty by India on imports of PUC. It is prima facie noted that there is likelihood of

continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of the anti-dumping duty.

Initiation of sunset review investigation

21. On the basis of the duly substantiated written application on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of dumping of product under consideration originating in or exported from the subject country and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 23 of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Subject Country

22. The subject country for the present sunset review investigation is China PR.

Period of Investigation (POI)

23. Applicant has proposed the period from 1st October 2019 to 31st March 2021 (18 months) as the period of investigation (POI). The injury investigation period is 2017-18, 2018-19, 2019-20 and POI.

24. A longer period of investigation is appropriate in the present sunset review since trade in the first quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19. A longer period would be more appropriate to assess the current injury and likelihood of injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports. In view of the above, period of investigation (POI) of 18 months from 1st October 2019 to 31st March 2021 is deemed appropriate. The injury investigation period will cover the periods April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019, April 2019 - March 2020 and the period of investigation.

Procedure

25. The sunset review investigation will undertake likelihood analysis of dumping and injury.

26. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable to this review.

Submission of Information

27. In view of the special circumstances arising out of COVID-I9 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and jd14-dgtr@gov.in, It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

28. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

29. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

30. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

31. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

32. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and jd14-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per as Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

33. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

34. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

35. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

36. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

37. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

38. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

41. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

42. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

Non-cooperation

43. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.28 22:08:28 +05'30'